राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(8)न्याय/2018 जयपुर, दिनांक 4.12.18

:: परिपत्र ::

प्रायः यह देखा गया है कि विधि सेवा संवर्ग के अधिकारियों के सभी विभागों में पद सृजित है, परन्तु यह पद स्थायी/अस्थायी श्रेणी के है, जो विभाग अपने स्तर पर ही पदों के सृजन और समाप्त कर लेता है तथा विभाग को इसकी सूचना नहीं दी जाती है। प्रायः विभागों में इस संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन इस विभाग द्वारा किया जाता है, तब संबंधित विभाग द्वारा पद समाप्त होने की स्थिति बताकर उन्हे वापस लौटा दिया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में आपके विभाग में विधि सेवा के स्वीकृत स्थायी/अस्थायी पदों का विवरण निर्धारित संलग्न प्रपत्र में (हार्ड कॉपी) एवं विभागीय ई-मेल आई.डी. law.dept@rajasthan.gov.in (सॉफ्ट कॉपी) पर इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 03.08.2018 के द्वारा दिनांक 20.08.2018 तक सूचना चाही गई थी, परन्तु अधिकांश विभागों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः आपके विभाग की सूचना दिनांक 31.12.2018 तक आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करे ताकि रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जा सके।

यह भी अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में पदों के सृजन एवं समाप्ति के लिए विभाग द्वारा इस विभाग (विधि विभाग) को प्रस्ताव भिजवाए ताकि सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर पद सृजन/समाप्ति की कार्यवाही कर संबंधित विभाग को सूचित किया जा सके।

संलग्नः– प्रपत्र।

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
2. समस्त जिला कलेक्टर/जिला परिषद/नगर परिषद।
3. समस्त निदेशक/आयुक्त
4. समस्त विभाग
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER-2018.docx

प्रपत्र

विधि सेवा संवर्ग से संबंधित पदों की सूचना

विभाग का नाम :–

कार्यालय का नाम व स्थान :–

क्र.सं.	पदनाम	स्थायी पदों की संख्या	अस्थायी पदों की संख्या (अन्तिम स्वीकृति की प्रति)	कुल स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	विशेष विवरण
1	कनिष्ठ विधि अधिकारी						
2	वरिष्ठ विधि अधिकारी						
3	सहायक विधि परामर्शी						
4	उप विधि परामर्शी						
5	संयुक्त विधि परामर्शी						
6	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी						

हस्ताक्षर मय पद